<u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कं.—668 / 2005</u> <u>संस्थित दिनांक—03.10.2005</u> फाईलिंग क.234503000092005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी जिला-बालाघाट (म.प्र.)

/ / <u>विरूद</u> / /

1—दुरापसिंह पिता सोमनसिंह, उम्र—28 वर्ष, निवासी—ग्राम निवास, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट(म.प्र.)

2—संतोष कुमार पिता फूलचंद पनिका, उम्र—29 वर्ष, निवासी—ग्राम निवास, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट(म.प्र.)

3—सलीम अहमद पिता मोहम्मद हनीफ कुरैशी, उम्र—55 वर्ष, निवासी—चालिस मकान बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

4—सम्मेलाल पिता बाबूलाल पनिका **(फरार घोषित**) निवासी—ग्राम निवास, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट(म.प्र.)

/ <u>निर्णय</u> / / <u>(आज दिनांक-04 / 05 / 2016 को घोषित)</u>

1— आरोपी दुरापसिंह, संतोष कुमार व सम्मेलाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—454, 380/34 के तहत् आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक—16.07. 2005 को 5:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत रोहनी नाला के पास पंप हाउस, ग्राम निवास में जो संपत्ति की अभिरक्षा के काम आता है, में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया तथा पंप हाउस से एक विद्युत मोटर किर्लोस्कर कंपनी 7½ एच.पी. कीमती 40,000 / — रूपये को वॉटर शेड समिति के कब्जे से उनकी बिना सम्मति के बेईमानी से लेने के आशय से हटाया व चोरी कारित किया एवं आरोपी सलीम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—411 के तहत आरोप है कि उसने आरोपी दुरापसिंह व संतोष, सम्मेलाल से एक विद्युत मोटर पंप किर्लोस्कर कंपनी का कीमती 40,000 / — रूपये जो चुराई गई संपत्ति थी, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया।

- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी संतराम ने पुलिस थाना गढ़ी जिला बालाघाट पर दिनांक—01.08.2005 को यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेती का कार्य करता है। रोहनी नाले के पास उसने सिंचाई के कार्य के लिए किर्लोस्कर कंपनी की विद्युत मोटर लगाई थी, जो बिजली कनेक्शन नहीं होने से चालू नहीं थी। दिनांक—16.07.2005 को उसे यह जानकारी हुई कि कोई अज्ञात चोर विद्युत मोटर चुराकर ले गया है। उसे गांव के लोगों से सूचना मिली है कि दुरापसिंह, संतोष कुमार, सम्मेलाल साथ में घूम रहे हैं, जिससे उसे उपरोक्त व्यक्तियों पर शंका है कि उन्होंने ही चोरी की है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के बिरूद्ध अपराध कमांक—39/2005 अंतर्गत धारा—454, 380 पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, विवेचना के दौरान संदेही आरोपीगण से मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये एवं चोरी का सामान जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपी दुरापसिंह, संतोष कुमार व सम्मेलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—454, 380/34 एवं आरोपी सलीम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—411 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा—313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की

गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

- 1. क्या आरोपी दुरापसिंह, संतोष कुमार ने घटना दिनांक—16.07.2005 को 5:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत रोहनी नाला के पास पंप हाउस ग्राम निवास में जो संपत्ति अभिरक्षा के काम आता है, में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी दुरापसिंह, संतोष कुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर पंप हाउस से एक विद्युत मोटर किर्लोस्कर कंपनी $7\frac{1}{2}$ एच.पी. कीमती 40,000/-रूपये को वॉटर शेड समिति के कब्जे से उनकी बिना सम्मित के बेईमानी से लेने के आशय से हटाया व चोरी कारित की ?
- 3. क्या आरोपी सलीम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी दुरापसिंह व संतोष, सम्मेलाल से एक विद्युत मोटर पंप किर्लोस्कर कंपनी का कीमती 40,000/—रूपये जो चुराई गई संपत्ति थी, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 व 2 का निष्कर्षः-

- 5— फरियादी साक्षी संतराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी दुरापिसंह को जानता है। घटना उसके बयान से दो वर्ष पहले की है। सिमित की मोटर नाले के किनारे मकान में लगी थी, जिसकी चोरी हो गई थी। मोटरघर का दरवाजा खुला होने पर एवं मोटर नहीं होने से उसने मोटर चोरी की रिपोर्ट लेख कराई थी एवं इस संबंध में पुलिस ने उसके बयान लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को चोरी करते नहीं देखा। साक्षी ने यह भी कहा है कि चोरी गई मोटर किसको बेची गई अथवा किसके पास से प्राप्त हुई, इसकी उसे जानकारी नहीं है।
- 6— शंकर (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी दुरापिसंह को जानता है, शेष आरोपी संतोष व सलीम को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसे थानेदार ने बताया था कि आरोपीगण ने वाटर पम्प की चोरी की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः स्वीकार किया कि पुलिस वालों के

बताए अनुसार वह चोरी की घटना के विषय में बता रहा है।

बालचंद यादव (अ.सा.४) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दो साल पहले की है। पानी सिंचाई की मशीन चोरी हो गई थी, जिसकी शंका के आधार पर थाना गढ़ी में रिपोर्ट की गई थी। पुलिस द्वारा मशीन सलीम कबड़ी नाम के व्यक्ति के पास से जप्त की गई थी और उसे थाने लाया गया था। सभी गांव वालों को मौके पर बुलवाया गया था और पुलिस ने उसका नाम गवाही में डाल दिया था। थाना प्रभारी गढी को मशीन चोरी की रिपोर्ट आवेदन के माध्यम से दी थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष थाने में मौकानक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से कोई कथन नहीं लिये थे। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 पुलिस ने उसके समक्ष बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5, 6, 7 बनाया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने आरोपीगण को मोटर चोरी करते हुए नहीं देखा था। उसने गांववालों के कहने पर पुलिस थाने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्तशुदा संपत्ति पुलिसवाले थाने पर कहां से लाए थे, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है।

8— एस.आर. साहू (अ.सा.७) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—01.08.2005 को थाना गढ़ी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को प्रार्थी संतराम गोंड की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा—454, 380 भा.द.वि. में एक विद्युत मोटर चोरी की प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक—01.08. 2005 को साक्षी संतराम एवं बालचंद यादव की निशानदेही पर घटना का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को आरोपी दुरापसिंह द्वारा धारा—27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम कथन, साक्षी बालचंद एवं रायसिंह के समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को सलीम अहमद के कब्जे से साक्षियों के समक्ष चोरी गई एक विद्युत मोटर किर्लोस्कर कपंनी की एवं उसके बॉडी टुकड़े कीमती 40

हजार रूपये जप्त की थी, जो प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण के आरोपी दुरापसिंह को प्रदर्श पी—5, संतोष कुमार को प्रदर्श पी—6, आरोपी सलीम अहमद को प्रदर्श पी—7 के अनुसार गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—29.05.2005 को आरोपी समेलाल को फरार होने संबंधी ग्राम निवास में ग्रामीणों के समक्ष फरारी पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी—9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सम्मेलाल के फरार होने का फरारी इश्तेहार पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा जारी किया था, जो प्रदर्श पी—10 है। संपूर्ण विवचेना पश्चात् आरोपी दुरापसिंह, संतोष कुमार, सलीम अहमद को गिरफ्तार कर, आरोपी सम्मेलाल को धारा—299 के तहत अभियोगपत्र न्यायालय समक्ष पेश किया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण का मेमोरेण्डम कथन लेख नहीं किया था और न ही कोई पंचनामा तैयार किया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही थाने पर बैठकर अपने मन से की।

9— अभियोजन कहानी के विपरीत साक्षी रायिसंह (अ.सा.८) ने यह कहा है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। आरोपीगण उसके गांव के ही है, इसलिए वह उन्हें पहचानता है। पुलिस ने उसके कथन लेख नहीं किये थे। आरोपी दुरापिसह ने प्रदर्श पी—3 का मेमोरेण्डम कथन उसके समक्ष पुलिस को लेख नहीं कराया था और न ही पुलिस ने प्रदर्श पी—4 की जप्ती की कार्यवाही उसके सामने की थी। पुलिस ने उसके सामने आरोपी संतोष तथा सलीम को भी गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5, 6, 7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुनः इंकार किया है कि उसे जानकारी हुई कि आरोपीगण ने मोटर चोरी की। साक्षी ने पुलिस कथन पुलिस कथन प्रदर्श पी—11 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है।

10— अभियोजन साक्षी मनोज कुमार (अ.सा.६) ने अभियोजन कहानी के विपरीत यह कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। वह पेशे से कंडेक्टर है, इसलिए गांव के बाहर ही रहता है। घटना में प्रार्थी संतराम को वह नहीं जानता। अभियोजन साक्षी बोहरनसिंह (अ.सा.५) के न्यायालयीन परीक्षण का लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं होता है। साक्षी भगेलसिंह (अ.सा.५) ने कहा है कि उसने पुलिस का प्रदर्श

पी-1 का कथन लेख नहीं कराया है।

आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-454, 380 / 34 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी एस.आर. साहू (अ.सा.७) ने स्वयं द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है और कहा है कि उसने आरोपी दुरापसिंह को धारा-27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम साक्षी बालचंद एवं रायसिंह के समक्ष लेख किया था। इसके पश्चात् उसने आरोपीगण की गिरफतारी की कार्यवाही की। साक्षी के उपरोक्त कथनों के विपरीत अभियोजन साक्षी बालचंद (अ.सा.४), रायसिंह (अ.सा.८) ने विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि उनके समक्ष आरोपी दुरापसिंह ने कोई भी मेमोरेण्डम कथन लेख नहीं कराया है। इस प्रकार मेमोरेण्डम की कार्यवाही अभियोजन के साक्षियों से प्रमाणित नहीं हो रही है। आरोपीगण द्वारा चोरी की गई मोटर आरोपी सलीम के आधिपत्य से जप्त की गई थी एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही की गई थी। यह बात साक्षी एस.आर. साहू (अ.सा.७) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कही है। प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही को स्वतंत्र साक्षी बालचंद यादव (अ.सा.4) तथा रायसिंह (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में समर्थित नहीं किया है। इस प्रकार जप्ती की कार्यवाही भी संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता। आरोपीगण की पहचान को लेकर के किसी भी अभियोजन साक्षी ने प्रमाणिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की है, कि उसने ही चोरी की थी। यद्यपि साक्षी शंकर, संतराम, भगेलसिंह ने आरोपी द्रापसिंह को पहचानना व्यक्त किया है, परंतु यह कहा है कि वे आरोपी को गांव का व्यक्ति होने के कारण पहचानते हैं। उपरोक्त संपूर्ण आधार पर आरोपी दुरापसिंह व संतोष के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-454, 380 / 34 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। आरोपी दुरापसिंह व संतोष को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा।

विचारणीय बिन्द् कमांक-3 का निष्कर्ष

12— आरोपी सलीम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—411 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। घटना दिनांक—16.07.2005 को चोरी गई विद्युत मोटर के विषय में थाना प्रभारी गढ़ी को लिखित आवेदन प्रदर्श पी—1 दिया गया था। यह विद्युत मोटर आरोपी दुरापसिंह के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—3 के आधार पर

आरोपी सलीम से जप्त की गई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 के अनुसार आरोपी सलीम के आधिपत्य से एक विद्युत मोटर किर्लोस्कर कंपनी की जप्त की गई थी। साक्षी एस. आर. साहू (अ.सा.7) के कथनों का समर्थन स्वतंत्र साक्षी बालचंद (अ.सा.4) एवं रायिसह (अ.सा.8) ने नहीं किया है और अपने समक्ष न तो मेमोरेण्डम लेख किया जाना और न ही आरोपी सलीम के आधिपत्य से विद्युत मोटर का जप्त किया जाना स्वीकार किया है। उपरोक्त दोनों साक्षी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किये गए है। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि आरोपी सलीम के पास से चोरी गई संपत्ति जप्त हुई थी। अतः आरोपी सलीम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—411 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। आरोपी सलीम को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा।

- उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दुरापसिंह व संतोष ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में रोहनी नाला के पास पंप हाउस, ग्राम निवास में जो संपत्ति की अभिरक्षा के काम आता है, में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया तथा पंप हाउस से एक विद्युत मोटर किर्लोस्कर कंपनी 7½ एच.पी. कीमती 40,000/—रूपये को वॉटर शेड समिति के कब्जे से उनकी बिना सम्मति के बेईमानी से लेने के आशय से हटाया व चोरी कारित किया तथा आरोपी सलीम ने आरोपी दुरापसिंह व संतोष, सम्मेलाल से एक विद्युत मोटर पंप किर्लोस्कर कंपनी का कीमती 40,000/—रूपये जो चुराई गई संपत्ति थी, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया। अतएव आरोपी दुरापसिंह व संतोष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—454, 380/34 एवं अरोपी सलीम को भारतीय दण्ड संहित की धारा—411 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।
- 14— प्रकरण में आरोपी दुरापसिंह, संतोष कुमार व सलीम की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 15— प्रकरण में आरोपी दुरापसिंह व संतोष कुमार दिनांक—02.08.2005 से दिनांक—08.08.2005 तक, आरोपी सलीम दिनांक—02.08.2005 से दिनांक—06.08.2005 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. के

प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में आरोपी सम्मेलाल के फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है तथा उक्त आरोपी के फरार होने से प्रकरण के पृष्ठ भाग में लाल स्याही से टीप अंकित की जावे कि प्रकरण को अभिलेखागर में सुरक्षित रखा जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk{kfjr o दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर, दिनांक—04.05.2016 (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

